तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिलयल्स जज सर्वजोत सिंह वगै – बनाम – निर्मल शर्मा वगै0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.08.19	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। स्टेट की और से पेरोकार राज उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय सुनी गई।	

अपील से संबंधित संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा उपनिवेशनन तहसीलदार के नामान्तरकरण संख्या 197 दिनांक 16.1.09 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा अपीलांट की खरीदशुदा खातेदारी भूमि को रेस्पोन्डेन्ट सं0 01 के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 2.1.2013 को प्रस्तुत की गई। स्टेट की तरफ से पेरोकार राज उपस्थित होने पर पर प्रकरण में विद्वान वकील अपीलांट श्री रामनारायण एवं स्टेट की तरफ से उपस्थित पेरोकार राज की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि चक 4 बी0डी0 में स्थित जैर अपील भूमि मु0 नंबर 230/21 , 230/29 , कुल 44.15 बीघा भूमि अपीलांट द्वारा भूमि के रिकार्डेड खातेदार को पूर्ण प्रतिफल राशि देकर दिनांक 11.04.2000 व पंजीबद्ध दिनांक 24.07.2000 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गई थी। जिस पर खरीद की दिनांक से अपीलांट लगतार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त बैयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 110 दिनांक 3.7.2001 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया। रेस्पोडन्ट सं0 02 ने नामान्तरण सं0 197 दिनांक 16.01.09 रेस्पोडेन्ट सं0 01 जरिये मुख्तायारा बैनामा दिनांक 21.6.2008 को कय की गई जो आज दिनांक तक रिकार्ड में अंकन है।

उक्त इन्तकाल के विरूद्ध अपिलान्ट ने अपील न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 21.12.2015 का राजस्थान सरकार उपनिवेशन विभाग राज. जयपुर की अधिसुचना पत्रांक 11(3) उप/ 2006/ पार्ट 1 दिनांक 4.12.15 के क्रम मे उपनिवेशन तहसील कोलायत न0 1,2,3 से संबंधित क्षेत्राधिकार राजस्व विभाग को परिवर्तन होने पर जिला कलक्टर बीकानेर को हस्तान्तरित किया गया। दिनांक 28.11.2016 को अति0 जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा पत्रावली पेशी में ली गई दिनांक 13.12.17 को उपनिवेशन विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना कमांकप 11(3) उप/ 2006/ पार्ट1 दिनांक 4.12.15 द्वारा उपखण्ड अधिकारी पूगल को उपनिवेशन तहसील सं0 1 में सम्मिलित राजस्व तहसील पूगल की प्रादेशि अधिकारिता क्षेत्र केलिए उक्त अधिनियम के तहल कलक्टर को समस्त कृत्यों का पालना करने एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त किया गया है तदनुसार हस्तगत पत्रावली उपखण्ड अधिकारी पूगल को हस्तान्तरित की गई। दिनांक 28.03.2018 उपखण्ड अधिकारी पूगल द्वारा पत्रावली पेशी में ली गई । दिनांक 5.11.18 को वकील अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1,2 को तलबी रजिस्ट्रड डाक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया गया। एवं रेस्पोडेन्ट सं01,2 हाजिर नहीं। दिनांक 26.3.19 को अपीलान्ट वकील क्षरा वास्ते तलवी अखबार के जरिये राये जाने की प्राींना की गई जिसे स्पीकार करने करेस्पोडेन्ट सं0 1,2 को समन दैनिक भास्कर हरियाणा संस्करण पंचकुला के समन जारी किये गये बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट हाजिर नहीं।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक एवं पेरोकार राज की बहस पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है दफा 5 मियाद अधिनियम अपील में उल्लेखित कारणो पर संतोष जताते हुए न्यायालय दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ अपीलांट को देना समुचित मानते है। अतः अपील स्वीकार कर प्रथम तिथी के ज्ञान के आधार पर अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.09 नामान्तरकरण संख्या 197 निरस्त किया जाता जाकर अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई प्रश्नगत भूमि अपीलांट सर्वजोत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह व सुरेन्द्र सिंह जाति जट सिख साकिन कानासर हाल चक 1 एन0जी0एम तहसील खाजूवाला के नाम दर्ज नामान्तरण सं0 110 दिनांक 3.7.2001 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलाशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

–ह0– 20.8.19

(महेन्द्र सिंह यादव)